गांव को 'हर घर जल' घोषित करने की प्रक्रिया

(संदर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का पृष्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण होने के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. जिसमे उस गाँव के फील्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एक ठराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी :

जल जीवन मिशन

हर घर जल - प्रमाण पत्र

मैं विनीता कुमारी, सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, चरपुर ग्राम पंचायत, खासपुरा जिला, राज्य का बिजनौर और मैं राजकुमार, पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूं कि गांव के सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठराव सं _____, तारीख_____, के आधार पर आज ____/_____/_____ जारी किया गया है।

विनीता
प्रधान
ग्राम हस्ताक्षर खासपुरा
वि०ख० चरपुर (बिजनौर)
(सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति के अध्यक्षा/ अध्यक्ष का नाम)
आधिकारिक मुहर

ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत हस्ताक्षर
विकास खण्ड चरपुर (बिजनौर)
(पंचायत सचिव का नाम)
आधिकारिक मुहर

जे.जे.एम. ऐप में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी/ फील्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठराव निम्नानुसार है: